पत्रसंख्या-कम्प्यूटर-बैक एण्ड यू0पी0टी0टी0इन्टीग्रेशन-2007-2008- 950 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,
(कम्प्यूटर-अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक::फरवरी:25, 2008

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर(कार्य0)/
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी व्यापारी सुविधा केन्द्र/पंजीयन प्रकोष्ठ)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वैट अधिनियम-2007 लागू होने के उपरान्त विभाग का पूरी तरह से कम्प्यूटराइजेशन किया जाना प्रस्तावित है तथा कम्प्यूटराइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय अभिलेखों का रखरखाव एवं कार्यप्रणाली में भी तदनुसार संशोधन किया जाना अपेक्षित है। कम्प्यूटराइजेशन को अधिक प्रभावी और परिणामपरक बनाने के लिए निम्नवत् निर्देश दिए जाते हैं:-

1- सभी कर निर्धारण कार्यालयों में मॉडयूलर आफिस का निर्माण किया जाय। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी मण्डल कार्यालयों में मॉडयूलर आफिस का निर्माण कार्य तत्परता से कराया जाय। यह कार्य छोटे मण्डल कार्यालयों में 15 दिन और बड़े कार्यालयों में विलम्बतम् एक माह में पूर्ण कराया जाय।

2- खण्ड कार्यालयों एवं डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के कार्यालयों में पंजीकृत व्यापारियों की उपलब्ध गोपनीय पत्रावलियों में से पंजीयन से सम्बन्धित मूल रुपपत्र-14 एवं उसके संलग्नक निकाल कर पंजीयन पत्रावली बना ली जाय तथा गोपनीय पत्रावलियों में इन अभिलेखों की छाया प्रतियां रख ली जायं। पंजीयन पत्रावलियां तुरन्त पंजीयन प्रकोष्ठ को हस्तांतरित कर दी जायं।

3- पुराने पंजीकृत व्यापारियों से फार्म- VII व फार्म-VIII प्राप्त होने के उपरान्त उनकी फीडिंग पंजीयन प्रकोष्ठ में करायी जाय तथा कम्प्यूटर में व्यापारी द्वारा फार्म- VII व फार्म-VIII में दिया गया अद्यावधिक विवरण ही फीड कराया जाय।

4- पंजीयन प्रकोष्ठ में उक्त पंजीयन पत्रावली रखे जाने हेतु पंजीयन प्रकोष्ठ के लिए एक रिकार्ड रुम बनाया जाय और इसके लिए स्थान चयन इस प्रकार से किया जाय कि वह स्थान पंजीयन प्रकोष्ठ से अधिक दूरी पर न हो।

5- प्रत्येक मण्डलय कार्यालय में तात्कालिक रिकार्ड (current record) रखने के लिए मॉडयूलर आफिस के साथ एक 'छोटा तात्कालिक रिकार्ड रुम ' बनाया जाय जिसमें व्यापारियों के संगत वर्ष के अभिलेख वार्षिक रुप पत्र दाखिल करने की अवधि तक रखे जायेंगे। यह तात्कालिक रिकार्ड रुम स्थान की उपलब्धता व मण्डल में कार्यरत खण्डों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार बनायें जायें कि प्रत्येक तल पर कम से कम एक तात्कालिक रिकार्ड रुम अवश्य हो तथा इस प्रकार गठित तात्कालिक रिकार्ड रुम में रिकार्ड रखने हेतु स्थान खण्ड/डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) वार आबंटित कर लिये जायें।

सभी मण्डल कार्यालयों में एक स्थाई 'सेन्ट्रल रिकार्ड रुम ' भी बनाया जाय। स्थायी सेन्ट्रल रिकार्ड रुम में संगत अवधि के पूर्ण अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य सभी अभिलेख रखे जायेंगे तथा स्थाई

सेन्ट्रल रिकार्ड रुम से ही नियमानुसार कन्साइनमेंट/वीडिंग का कार्य किया जायेगा। पंजीयन प्रकोष्ठ के रिकार्ड रुम, तात्कालिक रिकार्ड रुम व स्थाई सेन्ट्रल रिकार्ड रुम में अभिलेखों के रखरखाव हेतु प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जा रही है। पंजीयन प्रकोष्ठ रिकार्ड रुम एवं तात्कालिक रिकार्ड रुम में अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यकतानुसार फाइल कैबिनेट क्रय हेतु प्रस्ताव मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।

वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक व्यापारियों को विभाग में पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सभी मुख्य बाजारों एवं प्रमुख कस्बों में पंजीयन कैम्प आयोजित किए जायं। जहाँ व्यापारियों से फार्म- VII व फार्म-VIII भरवाकर प्राप्त किए जायं तथा उसी दिन व्यापार स्थल की स्थानीय जांच करके व्यापारी को सुनवाई/बायोमैट्रिक डेटा लेने हेतु तिथि नोट करा दी जाय तथा यथा सम्भव कैम्प में प्राप्त पंजीयन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर किया जाय। इस कार्य में सचलदल /वि0अनु0शा0 में उपलब्ध वाहनों व अधिकारियों का भी उपयोग किया जाय। सभी सचलदल अधिकारियों को भी डिजिटल कैमरा उपलब्ध कराये जा रहे है जिसका उपयोग भी कैम्प में आवश्यकतानुसार किया जाय। आवश्यकतानुसार डिजिटल कैमरा किराये पर लिए जाने के निर्देश भी पूर्व में जारी किए जा चुके है। सप्ताह में कम से कम एक दिन इस प्रकार के कैम्प अवश्य आयोजित किए जायें।

वैट अधिनियम के प्रभावी होने के उपरान्त छोटे-छोटे कस्बों (नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्रों) में अधिक संख्या में व्यापारियों के पंजीकृत होने की सम्भावना है। अत: प्रत्येक खण्ड में पड़ने वाले इस प्रकार के कस्बों को चिन्हित करके उनमें दिनांक 31 दिसम्बर 2007 तक कितने व्यापारी पंजीकृत थे, इसकी गणना करा ली जाय तथा इन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कैम्प लगाकर अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत कराने का प्रयास किया जाय तथा प्रत्येक सप्ताह होने वाले पंजीयन कैम्प में प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों की संख्या व निस्तारण की संख्या साप्ताहिक रुप से निम्न प्रारुप में मुख्यालय के कम्प्यूटर-अनुभाग में उपलब्ध कराया जाय:-

कस्बे का नाम	दि0 31-12-07 तक पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	दिनांक 01-01-2008 से दिनांक ---------- तक प्राप्त पंजीयन प्रार्थना-पत्रों की संख्या	दि0 1-1-2008 के उपरान्त जारी किए गये पंजीयन की संख्या
1	2	3	4

उपरोक्तानुसार कैम्प आयोजित किए जाने का कार्यक्रम प्रत्येक ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अपने सम्भाग में निर्धारित करलें तथा इस कार्यक्रम की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 29-02-2008 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

25.2.08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।